संख्या-7/2017/1337/49-3-2017-100(8)/2017

प्रेषक,

राकेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 28अगस्त, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-18 के अधीन विभिन्न लेखा/उपलेखाशीर्षकों, मानक मदों में विधान मण्डल द्वारा प्राविधानित धनराशियों के व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-443/49-3-2017-100(8)/2017, दिनांक 21अप्रैल, 2017 के क्रम में आपके पत्र संख्या-188/लेखा-अ/2017-18, दिनांक 09अगस्त, 2017 के संदर्भ में वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02जनवरी, 2017 एवं संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03अगस्त, 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग(सहकारिता) के लेखा शीर्षक-2425-सहकारिता के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-18 के लेखा शीर्षक 2425-सहकारिता के अधीन प्राविधानित धनराशि रू0 14427.67/-लाख रूपये (रू0 एक अरब चवालिस करोड़ सत्ताइस लाख सड़सठ हजार मात्र) तथा भारित मद में रू0 3.00लाख/- मात्र (रूपये तीन लाख मात्र) में से लेखानुदान के सापेक्ष अवशेष माह के लिये वित्तीय स्वीकृति मतदेय पक्ष हेतु रू0 8459.19 लाख (चौरासी करोड़ उनसठ लाख उन्नीस हजार मात्र) तथा भारित मद में रू0 1.75 लाख (एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी/शासन की स्वीकृति के बिना उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आबंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलों में व्यय करने की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ यथा सम्भव एक बार में ही जारी की जाये, परन्तु स्वीकृत धनराशि के एकमुश्त आहरण की यथासम्भव अनुमति न दी जाये।

----2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(4) कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02 /दस-2017-231/2017, दिनांक 02जनवरी, 2017 एवं संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03अगस्त, 2017 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) दिनांक 02जनवरी, 2017 तथा 03अगस्त, 2017 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ /सहायक लेखाधिकारी,(जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त-नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वह सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तुरन्त दें।

(6) आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनायें वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(7) मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक "2425-सहकारिता के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02 /दस-2017-231/2017, दिनांक 02जनवरी, 2017 एवं संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03अगस्त, 2017 में प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-7/2017/1387(1)/49-3-2017-100(8)/2017,तद् -दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः --

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
5- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
6- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,उ0प्र0शासन।
8- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0शासन।
9- सहकारिता अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-7/2017/1337(1)/49-3-2017-100(8)/2017, दिनांक 23अगस्त,2017 का संलग्नक

2425-सहकारिता

001-निदेशन तथा प्रशासन

03-सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण

(धनराशि लाख रुपये में)

लेखा शीर्षक/मद		आय-व्ययक प्राविधान 2017-18	05माहों के लेखानुदान स्वीकृति 2017-18	स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि 2017-18
1		2	3	4
01-वेतन		10579.58	4649.95	5929.63
02-मजदूरी		5.15	2.15	3.00
03-मँहगाई व्यय		634.77	232.50	402.27
04-यात्रा व्यय		15.00	6.25	8.75
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय		7.00	2.92	4.08
06-अन्य भत्ते		506.98	211.24	295.74
08-कार्यालय व्यय		10.00	4.17	5.83
09-विदयुत देय		16.00	6.67	9.33
10-जलकर/जल प्रभार		0.20	0.08	0.12
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई		5.50	2.29	3.21
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		1.00	0.42	0.58
13-टेलीफोन पर व्यय		9.00	3.75	5.25
14-मोटर गाडियों का क्रय		7.00	0.00	0.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		5.00	2.08	2.92
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		3.00	1.25	1.75
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व		100.00	41.67	58.33
18-प्रकाशन		1.50	0.63	0.87
29-अनुरक्षण		1.00	0.42	0.58
42-अन्य व्यय	मतदेय	0.00	0.00	0.00
	भारित	3.00	1.25	1.75
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय		0.90	0.42	0.48
45-अवकाश यात्रा व्यय		0.50	0.21	0.29
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		1.50	0.63	0.87
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		1.50	0.63	0.87
49-चिकित्सा व्यय		90.00	62.50	27.50
51-वर्दी व्यय		2.00	0.83	1.17
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)		673.06	0.00	673.06
योग-03	मतदेय	12677.14	5233.66	7436.48
	भारित	3.00	1.25	1.75

---2/----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

05- विशेष अनुसंधान शाखा का गठन

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखा शीर्षक/मद	आय-व्ययक प्राविधान 2017-18	05माहों के लेखानुदान स्वीकृति 2017-18	स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि 2017-18
1	2	3	4
01-वेतन	1296.66	569.91	726.75
03-मँहगाई भत्ता	77.80	28.50	49.30
04-यात्रा व्यय	15.00	6.25	8.75
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	7.00	2.92	4.08
06-अन्य भत्ते	62.00	25.83	36.17
08-कायार्लय व्यय	1.50	0.63	0.87
09-विदयुत देय	2.50	1.04	1.46
10-जलकर/जल प्रभार	0.10	0.04	0.06
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.00	0.42	0.58
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50	0.63	0.87
13-टेलीफोन पर व्यय	3.00	1.25	1.75
14-मोटर गाडियों का क्रय	7.00	0.00	0.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00	2.92	4.08
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	15.00	6.25	8.75
23-गुप्त सेवा व्यय	0.60	0.25	0.35
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.42	0.58
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00	0.42	0.58
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.25	0.52	0.73
49-चिकित्सा व्यय	12.00	8.33	3.67
51-वर्दी व्यय	0.20	0.08	0.12
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	82.49	0.00	82.49
योग-05	1595.60	656.61	931.99

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

06- उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल

(धनराशि लाख रुपये में)

लेखा शीर्षक/मद	आय-व्ययक प्राविधान 2017-18	05माहों के लेखानुदान स्वीकृति 2017-18	स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि 2017-18
1	2	3	4
01-वेतन	102.33	44.98	57.35
03-मँहगाई भत्ता	6.14	2.25	3.89
04-यात्रा व्यय	0.20	0.08	0.12
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.05	0.02	0.03
06-अन्य भत्ते	4.88	2.03	2.85
08-कायार्लय व्यय	0.55	0.23	0.32
09-विदयुत देय	1.50	0.63	0.87
10-जलकर/जल प्रभार	1.50	0.63	0.87
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.12	0.05	0.07
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.21	0.29
13-टेलीफोन पर व्यय	0.75	0.31	0.44
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.50	0.63	0.87
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	26.00	10.83	15.17
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.25	0.10	0.15
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.50	0.21	0.29
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.40	0.17	0.23
49-चिकित्सा व्यय	1.20	0.83	0.37
51-वर्दी व्यय	0.05	0.02	0.03
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	6.51	0.00	6.51
योग-06	154.93	64.21	90.72
कुल योग- 2425-001- मतदेय	14427.67	5954.48	8459.19
भारित	3.00	1.25	1.75

(राकेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in